

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-421/2003

संस्थित दिनांक- 30.10.2003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. श्यामलाल पुत्र शंकर सिंह आदिवासी उम्र 33 साल
2. सुरेश पुत्र भग्गू आदिवासी उम्र 39 साल
ग्राम सिगवासा चक तहसील चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 29.12.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 379 दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.09.2003 को ग्राम डोंगर में रात्रि के समय म0प्र0 विद्युत मण्डल की D.P. में से लगभग 40 लीटर तेल कीमती 1600/-रु बिना अनुमति के बेईमानीपूर्वक D.P. से निकाल कर एवं ले जाकर चोरी की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि गांव डोंगर में शासकीय विद्युत मण्डल चंदेरी की D.P. 100 के0बी0 की रखी है। D.P. से लगा फरियादी श्यामसिंह का जमीन व ट्यूब वेल है। दिनांक 01.10.2003 को सुबह श्यामसिंह ट्यूबवेल पर गया, तो D.P. के पास तेल फैला डला हुआ था, श्यामसिंह ने D.P. में देखा, तो उसका ढक्कन नीचे पड़ा था व D.P. में तेल नहीं था। श्यामसिंह ने उक्त घटना गावों को बताई। D.P. में से करीबन 40 लीटर D.P. का तेल जिसकी कीमत 1600 रुपये थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-166/03 अंतर्गत धारा-379

भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये, उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.09.2003 को ग्राम डोंगर में रात्रि के समय म0प्र0 विद्युत मण्डल की D.P. में से लगभग 40 लीटर तेल कीमती 1600/—रु0 बिना अनुमति के बेईमानीपूर्वक D.P. से निकाल कर एवं ले जाकर चोरी की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

05—फरियादी श्यामलाल (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि 6—7 साल पहले नवदुर्गा के समय जब वह सुबह खेत पहुंचा, तो उसने वहां देखा कि खेत पर लगी विद्युत D.P. का तेल निकल गया था। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 उसने पुलिस थाना पिपरई में की थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। गोपाल सिंह (अ0सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि 10—12 साल पहले फरियादी श्यामसिंह के खेत पर लगी D.P. का तेल चोरी हो गया था, जिसके बारे में उसे फरियादी श्याम सिंह ने बताया था।

06—फरियादी श्यामसिंह के खेत पर लगे ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी की घटना हुई थी, इस संबंध में फरियादी तथा गोपाल सिंह (अ0सा0—3) के कथनों को बचाव की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई तथा स्वयं साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये सुझाव की चोरी

की घटना जुझार सिंह (अ0सा0-6) के द्वारा कारित की गई हैं, से प्रकरण में यह तो स्वीकृत हो जाता है। फरियादी के श्याम सिंह के खेत पर लगे ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी की घटना हुई थी।

07- प्रकरण में तत्कालीन लाईनमैन रामगोपाल के द्वारा उक्त चोरी की घटना की सूचना कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल चंदेरी को दी गई थीं, इसके संबंध में अभियोजन की ओर से प्रदर्श-पी-14 का रामगोपाल लाईन का लेखिये आवेदन प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा रामगोपाल के द्वारा उक्त चोरी के अलावा ग्राम भिकली में D.P. से तेल चोरी के संबंध में कनिष्ठ यंत्री को लेख किया गया पत्र प्रदर्श-पी-13 भी प्रकरण में प्रस्तुत है, जिस पर से विद्युत मण्डल के जूनियर इंजीनियर के द्वारा दिनांक 17.10.2003 को थाना पिपरई को लेख किया गया पत्र प्रदर्श-पी-15 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

08- यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श-पी-13 व 14 के आवेदन तत्कालीन लाईनमैन रामगोपाल के द्वारा लेख किये गये हैं, परन्तु रामगोपाल के प्रकरण के विचारण के दौरान फौत हो जाने के कारण वह साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं तथा उक्त दस्तोवज को प्रमाणित करने के लिये उसके साथ कार्यरत लाईनमैन गोकुल प्रसाद कोरी (अ0सा0-7) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये। गोकुल प्रसाद कोरी ने अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श-पी-13 व 14 की हस्तलिपि व उस पर रामगोपाल के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है तथा प्रदर्श-पी-15 पर तत्कालीन जूनियर इंजीनियर जसपाल सचदेवा के हस्ताक्षर होना बताया है।

09- बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के परीक्षण में प्रदर्श-पी-13 व 14 के आवेदन पर अंकित दिनांक 30.11.2000 एवं 03.09.2002 को चुनौती देते हुये, इस साक्षी की साक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दी है कि वह हस्तलिपि विशेषज्ञ नहीं है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आवेदन में वर्णित जिन दिनांकों को बचाव पक्ष चुनौती दे रहा है कि वह आवेदन लिखने की दिनांक नहीं है। बल्कि जिस ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी हुआ था, उससे संबंधित कोई दिनांक है। जहां तक गोपाल प्रसाद (अ0सा0-7) के हस्तलिपि विशेषज्ञ होने का प्रश्न है, तो यह उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने के लिये हर बार यह आवश्यक नहीं है कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट व साक्ष्य से उसे प्रमाणित कराया जावे।

- 10- साक्ष्य अधिनियम की अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि व्यक्ति के हस्ताक्षरों से उसके साथ कार्य करने के कारण परिचित हो, हस्ताक्षरों को प्रमाणित कर सकता है। गोकुल प्रसाद (अ0सा0-7) तत्कालीन लाईनमैन रामगोपाल के साथ पदस्थ नहीं रहा, ऐसी कोई प्रतिरक्षा बचाव पक्ष की नहीं है, जिससे गोकुल प्रसाद (अ0सा0-7) के द्वारा प्रदर्श-पी-13 व 14 पर रामगोपाल के हस्ताक्षर एवं प्रदर्श-पी-15 पर जसपाल सचदेवा के हस्ताक्षर पहचानने के संबंध में दिये गये कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः गोकुल प्रसाद (अ0सा0-7) के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन लाईनमैन रामगोपाल के द्वारा ग्राम डोंगर व ग्राम भीकली से ट्रान्सफार्मर के तेल चोरी होने की लिखित सूचना कनिष्ठ यंत्री को प्रदर्श-पी-13 व 14 के माध्यम से दी गई थी जिस पर तत्कालीन जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग जसपास सचदेवा के द्वारा थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के लिये प्रदर्श-पी-15 का पत्र लेख किया गया था।
- 11- जगभान सिंह (अ0सा0-4) का अपने कथनों में कहना है कि तेल चोरी होने के बाद उसने D.P. चालू करने के लिये सरपंच होने के नाते पंचनामा भी बनाया था। उक्त पंचनामा प्रदर्श-पी-8 प्रकरण में प्रस्तुत है। जिस पर गोपाल सिंह (अ0सा0-3) ने अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हुये, जगभान (अ0सा0-4) के द्वारा पंचनामा बनाये जाने की पुष्टि की है। श्याम सिंह के खेत पर लगे ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी के संबंध में फरियादी के कथन जहां अखण्डित है, वही उक्त घटना को बचाव पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नहीं दी गई है। तत्कालीन लाईनमैन रामगोपाल के द्वारा उक्त चोरी की घटना के संबंध में लेखिये आवेदन प्रदर्श-पी-13 व 14 एवं जूनियर इंजीनियर के द्वारा थाना प्रभारी पिपरई को उक्त चोरी की दी गई लिखित सूचना प्रदर्श-पी-15 एवं पंचनामा प्रदर्श-पी-8 को कोई तात्विक चुनौती न मिलने से यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक 30.09.2003 को फरियादी श्यामलाल के खेत पर स्थिति ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी की घटना हुई थी, अतः मुख्य रूप से इस पर विचार किया जाना है कि वास्तव में उक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी अथवा नहीं।
- 12- घटना के संबंध में फरियादी श्यामसिंह (अ0सा0-1) सहित गोपाल (अ0सा0-3), जगभान (अ0सा0-4) का कहीं भी यह कहना नहीं है कि उन्होंने अभियुक्तगण को चोरी की घटना कारित करते हुये देखा था। प्रकरण में कि गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि

अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त चोरी की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। ऐसी चोरी की घटनाओं में जहां प्रत्यक्ष रूप से कोई साक्षी चोरी होते हुये नहीं देखता है। वहां उक्त घटना के संबंध में प्रकरण के अनुसंधान के दौरान की गई मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको संदेह रहित साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षियों में से साक्षी जहार सिंह (अ0सा0-2) व जुझार सिंह (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि तथा घटना की जानकारी होने से भी इन्कार किया है। इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

13- अभियोजन की ओर से तत्कालीन अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक अमृतलाल (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय में कराये गये है, जिसका अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 06.10.2003 को उसे इस प्रकरण क अपराध क्रमांक-66/03 अंतर्गत धारा-379 भा0द0वि0 एवं 39 विद्युत अधिनियम की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थीं। जिसके क्रम में इस साक्षी ने नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 घटना स्थल पर जाकर बनाने की पुष्टि की है। जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। नक्शा मौका के साक्षी गोपाल सिंह (अ0सा0-3) ने प्रदर्श-पी-2 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार किये है, परन्तु इस साक्षी ने यह ध्यान होने से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कहा कराये, परन्तु साक्षी श्यामलाल ने प्रदर्श-पी-2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करने के साथ अमृतलाल (अ0सा0-5) के कथनों की पुष्टि करते हुये, उक्त नक्शा मौका घटना स्थल पर बनाये जाने की पुष्टि की है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 अनुसंधानकर्ता अधिकारी अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा मौके पर जाकर बनाया था।

14- अनुसंधानकर्ता अधिकारी अमृतलाल (अ0सा0-5) का अपने कथनों में कहना है कि उसने आरोपीगण को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी-7 तैयार किया था तथा साक्षीगण के समक्ष ही अभियुक्तगण के प्रदर्श-पी-3 व 4 के मैमो कथन लेखबद्ध कर उक्त मैमो के अनुसार दोनों आरोपीगण से पांच-पांच लीटर तेल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-5 व 6 तैयार किया था। अमृतलाल (अ0सा0-5) ने उपरोक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 15- अनुसंधानकर्ता अधिकारी अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा सर्वप्रथम अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी-7 बनाना बताया है, परन्तु अभियुक्तगण की किस आधार पर प्रकरण में गिरफ्तारी की गई, इसका कोई उल्लेख गिरफ्तारी पत्रक में नहीं है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी सहित साक्षियों के द्वारा 161 के कथनों में यह बताया गया है कि घटना दिनांक को पानी बरसने के कारण मौके पर फैले तेल से पैरों के निशान बन गये थे, जो कि जुहार सिंह के खेत तक गये थे अर्थात् अभियुक्तगण की गिरफ्तारी उक्त आधार पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई थी, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को ही बनाये गये, नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 में ऐसे कोई चिन्हों का उल्लेख नहीं है। अतः अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किस आधार पर की गई, यह प्रकरण में किये गये अनुसंधान से स्पष्ट नहीं है।
- 16- फरियादी श्याम सिंह (अ0सा0-1) का अभियोजन के ही विरुद्ध न्यायालय में यह कहना है कि पैरों के निशान देखकर वह जुहार सिंह के खेत पर पहुंचे थे, जहां जुहार सिंह के पास 10 लीटर तेल मिला था। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 उसने थाने पर लेख कराई थी, परन्तु जुझार (अ0सा0-6) ने स्वयं का नाम हटवाकर अभियुक्तगण का नाम लेख करा दिया। फरियादी का कहना है कि तेल जुहार से ही जप्त किया गया था। जगभान (अ0सा0-4) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये जुझार (अ0सा0-6) के द्वारा ही D.P. से तेल निकाल लेने की घटना बताई है तथा इस साक्षी ने भी जुझार के घर से तेल बरामद होना बताया है तथा इस साक्षी का कहना है कि उसने के सामने जुहार के अलावा पुलिस ने किसी से कोई पूछताछ नहीं की।
- 17- प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-3 व 4 सहित जप्ती प्रदर्श-पी-5 व 6 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-7 के मुख्य साक्षी स्वयं फरियादी श्यामलाल (अ0सा0-1) व जगभान (अ0सा0-4) हैं तथा इन दोनों ही साक्षियों ने प्रदर्श-पी-3 लगायत 7 की अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा की गई कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है तथा उक्त कार्यवाही के विरुद्ध इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि अभियुक्तगण से उनके सामने पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और न ही उनके सामने अभियुक्तगण से तेल जप्त किया गया। यह दोनों ही साक्षी तेल जुझार सिंह (अ0सा0-6) से पुलिस के द्वारा जप्त किया जाना बताते हैं जिसको इस प्रकरण में अभियुक्त न बनाकर अभियोजन साक्षी बनाया गया है।

- 18- अतः मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही को साबित करने के लिये श्यामसिंह (अ0सा0-1) व जगभान (अ0सा0-4) के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने मात्र से अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य को मात्र इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह हितबद्ध होकर पुलिसकर्मी है तथा ऐसे पुलिसकर्मी की साक्ष्य को अन्य साक्षियों की साक्ष्य के तरह ही देखा जाना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विधि इस संबंध में भी स्पष्ट है कि मैमोरेण्डम पत्रक, जप्ती पत्रक व गिरफ्तारी पत्रक अपने आप में सारभूत साक्ष्य नहीं होती है जिसके मात्र प्रदर्शित हो जाने से उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही को दस्तावेज लेखक व साक्षियों की मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक होता है।
- 19- अतः देखा यह जाना है कि अमृतलाल (अ0सा0-5) की साक्ष्य वास्तव में उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही को अपने आप में साबित करने के लिये पर्याप्त है अथवा नहीं। अमृतलाल (अ0सा0-5) का कहना है कि उसने साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त श्यामलाल व सुरेश का मैमोरेण्डम कथन प्रदर्श-पी-3 व 4 लेखबद्ध किया था तथा उक्त अनुसार अभियुक्त सुरेश व श्यामलाल से 5-5 लीटर तेल जप्त कर साक्षीगण के समक्ष प्रदर्श-पी-5 व 6 का जप्ती पत्रक तैयार किया था। जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अमृतलाल (अ0सा0-5) का कही भी यह कहना नहीं है, कि मैमोरेण्डम व जप्ती के साक्षी कौन थे, अभियुक्तगण का मैमोरेण्डम किस आधार पर लिया गया, अभियुक्तगण ने मैमोरेण्डम में क्या कथन दिये तथा किस स्थान से किन साक्षियों के समक्ष उसके द्वारा तेल जप्त किया गया।
- 20- अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी पत्रकों पर मात्र अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लेने से यह साबित नहीं होता है कि उसके द्वारा विधिवत् साक्षी श्यामसिंह (अ0सा0-1) व जगभान (अ0सा0-4) के समक्ष अभियुक्तगण का मैमोरेण्डम लिया गया था, जिसमें अभियुक्तगण ने D.P. का तेल चोरी कर सोनी सरदार के मकान के पास एवं भूसे में छुपाकर रखना बताया था। जहां से जगभान (अ0सा0-4) व श्यामसिंह (अ0सा0-1) के समक्ष तेल जप्त किया गया। श्यामसिंह (अ0सा0-1) व जगभान (अ0सा0-4) अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा पत्रकों पर उल्लेखित की गई कार्यवाही का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करते हैं तथा जुझार सिंह (अ0सा0-6) से तेल जप्त

किया जाना बताते हैं, अतः ऐसे में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन न कर स्वयं पंच साक्षियों के द्वारा उक्त कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में कथन देने से एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा अपने मौखिक कथनों से स्वयं के द्वारा की गई मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही को प्रमाणित न करने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा अनुसंधानकर्ता अधिकारी अमृतलाल (अ0सा0-5) को प्रदर्श-पी-3 व 4 के मैमोरेण्डम देकर यह बताया गया था, कि उनके द्वारा चोरी का तेल सोनी सरदार के मकान के पास एवं मकान के पास लगे भूसैं में छुपाकर रखा गया है, जहां से अभियुक्तगण की निशानदेही पर अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा तेल जप्त किया गया।

21- अतः जहां अभियुक्तगण मैमोरेण्डम पर से उनके अधिपत्य से D.P. का चोरी गया तेल जप्त होना ही प्रमाणित नहीं है, तो वहां धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई उपधारणा अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि पैरों के निशान के आधार पर जुझार सिंह के खेत से बने टपरा से तेल जप्त किया जाना अभियोजन कहानी के अनुसार दर्शित हो रहा है तथा फरियादी सहित जगभान (अ0सा0-4) का अपने कथनों में स्पष्ट कहना है कि जुझार सिंह (अ0सा0-6) के द्वारा ही चोरी की गई है।

22- अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा यदि जुझार सिंह के खेत से तेल जप्त किया गया, तो उससे पूछताछ न करके उसे अभियोजन का साक्षी न बनाये जाने पर भी प्रकरण की विवेचना संदिग्ध प्रतीत होती है। गिरफ्तारी पंचनामें पर गिरफ्तारी दिनांक-26.10.2003 अंकित है। वहीं जप्ती पत्रक पर जप्ती की दिनांक में भी कांट-छांट हैं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित फरियादी पैरों के निशान के आधार पर चोरी गये माल तक पहुंचे थे, परन्तु इसका उल्लेख नक्शा मौका में किया ही नहीं गया। अभियुक्तगण को जुझार सिंह का हरवारा होने के आधार पर जुझार सिंह के खेत पर तेल की जप्ती जप्तीपत्रकों में दर्शाई गई है जो कि हालांकि मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, परन्तु स्वयं जुझार सिंह (अ0सा0-6) के न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्तगण को पहचानने से ही इन्कार करना एवं इस बात से भी इन्कार करना कि आरोपीगण उसके खेत में मजदूरी करते थे, अपने आप में फरियादी के जुझार सिंह पर लगाये गये आरोप को बल प्रदान करता है तथा प्रकरण में की गई विवेचना को संदेह के घेरे में ले आता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित होगा।

23- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह अभियुक्तगण के मैमोरेण्डम में पुलिस को दिये गये कथन एवं उक्त आधार पर अमृतलाल (अ0सा0-5) के द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है, जिससे यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 30.09.2003 को ग्राम डोंगर में रात्रि के समय म0प्र0 विद्युत मण्डल की D.P. में से लगभग 40 लीटर तेल कीमती 1600/-रु बिना अनुमति के बेईमानीपूर्वक D.P. से निकाल कर एवं ले जाकर चोरी की।

24- फलतः अभियुक्त श्यामलाल पुत्र शंकर सिंह आदिवासी, सुरेश पुत्र भग्गू आदिवासी के विरुद्ध धारा 379 भा0द0वि0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त श्यामलाल पुत्र शंकर सिंह आदिवासी, सुरेश पुत्र भग्गू आदिवासी धारा 379 भा0द0वि0 दण्डनीय के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

25-अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा तेल विद्युत विभाग चंदेरी को अपील अवधि पश्चात् प्रदान किया जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)